

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27536 वर्ष 2026**

किरत सिंह

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : चंद्र प्रकाश तिवारी

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. विद्वान अधिवक्ता श्री रामानुज यादव ने आज न्यायालय में शिकायतकर्ता की ओर से अपना अधिकार पत्र दाखिल किया, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सी.पी. तिवारी, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रामानुज यादव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री इमरान खान की बात सुनी।
3. यह जमानत याचिका महोबा जिले के चरखारी पुलिस स्टेशन के मामले में धारा 103(1), 352, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध संख्या 43/2026 में आवेदक को मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतक की जेठ है और आरोप के अनुसार मृतक के पति की मृत्यु के बाद उसका ससुर उसे प्रताड़ित करता था और घटना वाले दिन आवेदक और मृतक के ससुर ने मृतक को पीटा, जिसके कारण उसे चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
5. उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना मृतक की बेटी के सामने घटी और उसके बयान से यह पता चलता है कि उसने आवेदक को केवल पकड़ने का काम सौंपा था और इससे यह साबित नहीं होता कि आवेदक ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई थी।
6. उन्होंने आगे कहा कि मृतक आवेदक का जेठ होने के बावजूद उससे कोई संबंध नहीं था और यह इस बात से स्पष्ट होता है कि चूंकि वह मुख्य आरोपी का बड़ा बेटा है, इसलिए उसे इस मामले में उसके साथ आरोपी बनाया गया है।
7. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 23.03.2026 से जेल में है।
8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतक का जेठ है और मृतक के पति की मृत्यु के बाद उसने अपने पिता के साथ मिलकर उसे चोट पहुँचाकर उसकी हत्या कर दी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. वे आगे यह भी कहते हैं कि चश्मदीद गवाह के बयान से यह पता चलता है कि आवेदक को पकड़ने की भूमिका सौंपी गई थी, लेकिन यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृतक के ससुर, सह-आरोपी दया राम के साथ उसका भी साझा इरादा था।

10. उन्होंने आगे कहा कि मृतक की जेठ होने के नाते आवेदक का यह दायित्व था कि वह उसका भरण-पोषण करे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने अपने पिता का समर्थन किया और उसे चोट पहुंचाने में भी भाग लिया।

11. अतः, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, आवेदक जमानत का पात्र नहीं है और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

13. हालांकि, आवेदक मृतक का जेठ है और कथित चश्मदीद गवाह यानी मृतक की बेटी के बयान से भी यह पता चलता है कि सह-आरोपी दया राम, जो मृतक का ससुर है, ने उसे चोट पहुंचाई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बयान से यह भी पता चलता है कि कथित हमले के समय आवेदक ने मृतक को पकड़ रखा था, इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्दोष है।

14. इस न्यायालय को विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में दम लगता है कि मृतक के पति की मृत्यु के बाद, मृतक आवेदक के जेठ होने के नाते, उस पर उसकी देखभाल करने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने अपने पिता के साथ कथित घटना में भाग लिया, इसलिए उसके पक्ष में कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए।

15. इसके अलावा, वर्तमान मामले में भी आवेदक 23.03.2026 से ही जेल में है।

16. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

17. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7 अगस्त, 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Judgment. Not for Legal Use.